

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 (Road) 2018/FCA/PCCF/CCFEDS I Dated 22.10.2018

NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU JODHPUR के द्वारा अलवर जिले के वन मंडल अलवर प्रादेशिक में Diversion of Forest Land for the up gradation of Jodhpur Ring Road Section I from Dangiyawas (0+000) to Nagaur (74+619) road section of NH 62 in Jodhpur districts of Rajasthan. सड़क के निर्माण कार्य हेतु 7.534 हेक्टर वन भूमि के अनारक्षण हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/32975/2018 पर दिनांक 11.08.2018 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक जोधपुर द्वारा प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III भिजवाये जाने पर प्रस्ताव के परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:-

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-b(ii) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न KML file में पूर्ण एलायमेंट, वन सीमा का सीमांकन, सड़क की भूमि को शामिल नहीं किये जाने का कारण, सेगमेंटवाइज KML file, प्रस्तावित एलायमेंट में कुछ अतिक्रमण दिखाई दे रहे हैं इस हेतु यूजर ऐजेन्सी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है एवं पार्ट I के बिन्दु एफ में भी कोई सूचना अंकित नहीं की गई है।
2. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि पर अधिकारों के निबटारे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. राजस्व मानचित्र एवं जमाबंदी
4. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 3 में जिलावार प्रत्यावर्तित वन भूमि का क्षेत्र सही अंकित नहीं है।
5. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
6. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
7. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 6 में प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित वन भूमि की क्षरण के प्रति संवेदनशीलता अंकित नहीं की गई है।
8. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में दुगनें अवन्त वन भूमि पर क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण किये जाने के स्थल के KML file, GT Sheet & DGPS map संलग्न नहीं किये गये हैं।
9. उप वन संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।
10. उप वन संरक्षक ने अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में मौजा बडली के खसरा संख्या 534 में 1.33 है० अतिरिक्त वन भूमि आना अवगत कराया गया है हालांकि उप वन संरक्षक द्वारा उक्त खसरे में तरमीम नहीं होना अवगत कराया गया है किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि 0.308 है० इस प्रकार 1.02 है० अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होना अंकित किया गया है। इस बिन्दु पर मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/यूजर ऐजेन्सी की कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
11. उप वन संरक्षक द्वारा एन०पी०वी० की गणना इको क्लास III में की गई है। जबकि प्रस्तावित वन क्षेत्र इको क्लास 4 में आता है अतः रिवाइज्ड गणना रिपोर्ट संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
12. मुख्य वन संरक्षक द्वारा पार्ट III में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल, प्रस्ताव का नाम, संख्या आदि अंकित नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना भिजवाने हेतु यूजर ऐजेन्सी को निर्देशित किया जाता है।

22/10/18
(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR